फैक्स/अति महत्वपूर्ण

अ.शा.डीजी परिपत्र संख्या-13 /2013

देवराज नागर,
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः अप्रैल 17,2013

विषय- महिलाओं के विरूद्व अपराधों में पुलिस प्रक्रिया।

प्रिय महोदय,

महिलाओं के विरूद्व हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम-2013 इस माह से लागू किया गया है। इस अधिनियम के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश अशा0 पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-2ए(निर्देश)/2013 दिनांक-12-04-2013 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

2. यह परिपत्र महिलाओं के विरूद्व निम्नलिखित अपराधों में पुलिस द्वारा की जाने वाली पुलिस कार्यवाही के सम्बन्ध में है:-

धारा	अपराध का संक्षित विवरण
326क-	• अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। (Acid Attack)
326ख	• स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।
354	• स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
354क	• अवांछनीय शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएँ अथवा लैंगिक सम्बन्धों की स्वीकृति बनाने की मांग या अनुरोध। (Sexual Harassment)
354ख	• निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (Assault to disrobe)
354ग	• दृश्यरतिकता। (Voyeurism)
354घ	• पीछा करना। (Stalking)
376	• बलात्संग। (Rape)
376क	• बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुँचाना जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है। (Vegetative State)
376ख	• पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।
376ग	• प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
376घ	• सामूहिक बलात्संग।
376ड़	• पुरावृतिकर्ता अपराधी।
509	• शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। (Eve Teasing)

3. **पुलिस द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:-**

I. प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी/कर्मी हर समय उपलब्ध रहेगी।

II. जैसे ही उपरोक्त किसी अपराध की सूचना मिलती है तो थाने के ड्यूटी आफीसर थाने पर उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी को बुलवायेगा। इस महिला अधिकारी का प्रथम दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला व उसके परिवार को सांत्वना व ढाढ़स देकर उन्हें आश्वस्त करे।

III. डियूटी आफीसर का यह दायित्व होगा कि वह कानूनी सहायता हेतु तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायक स्वंयसेवी (**Para-legal volunteer**) या अधिवक्ता को बुलायेगा, अगर पीड़ित महिला व उसके परिवार ने अपने किसी अधिवक्ता को नहीं बुलाया है। इस हेतु थाने पर ऐसे स्वयंसेवी अधिवक्ताओं की सूची होनी चाहिए जो महिला उत्पीड़न सम्बन्धी अपराध में पीड़िता की मदद करना चाहते हैं।

IV. इस अधिवक्ता की भूमिका होगी कि वह पीड़िता को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह अवगत करायें, मानसिक रूप से चिकित्सीय परीक्षण के लिए तैयार करें और थाने में बयान देने व वैधानिक प्रक्रिया के बारे में अवगत करायें। वह पीड़िता के साथ समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण होने तक रहेगें।

यदि अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होता है या अधिवक्ता के आने में विलम्ब है तो महिला पुलिस अधिकारी का दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये बिन्दु के अनुसार कार्यवाही करें और लगातार पीड़िता को ढाढ़स दिलाती रहें एवं निश्चिन्त करती रहे।

V. अभियोग के पंजीकरण हेतु सूचना का अभिलेखीकरण दं0प्र0सं0 के संशोधन के अन्तर्गत, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जायेगा।

VI. यदि उपरोक्त अपराधों से पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो सूचना का अभिलेखीकरण पीड़िता के घर पर या उसके चयनित स्थान पर अनुवादक या विशिष्ट शिक्षक की मौजूदगी में किया जाय।

VII. उपरोक्त अभिलेखीकरण की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।

VIII. उपरोक्त बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी तत्काल कराया जायेगा।

IX. प्रारम्भिक विवेचना की कार्यवाही कर विवेचक उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी के साथ तुरन्त पीड़ित महिला को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जायेंगे।

X. उपरोक्त सभी अपराधों की सूचना तत्काल क्षेत्राधिकारी को दी जायेगी और क्षेत्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पूरी विवेचना की व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेगें।

XI. पीड़ित महिला का 161दं0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाय। इस बयान को लेने के लिए पीड़ित महिला को किसी भी दशा में धारा 160 दं0प्र0सं0 का नोटिस देकर थाने या अन्यत्र स्थान पर नहीं बुलाया जायेगा। यह बयान पीड़ित महिला के घर पर ही लिया जाये।

XII. यह बयान पीड़ित महिला से घर में एकान्त (Private) में लिया जायेगा। पीड़ित महिला के परिवार के सदस्य बयान के समय पीड़िता को निश्चिन्त करने हेतु उपस्थित रह सकते हैं।

XIII. यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम की बालिका है तो विवेचक तत्काल बाल कल्याण समिति को अवगत करायेंगे।

XIV. किसी भी दशा में अभियुक्त को, कार्यवाही शिनाख्त के अतिरिक्त, पीड़िता के समक्ष नहीं लाया जायेगा।

XV. उन अपराधों को छोड़कर जिनमें सूचना रात्रि में प्राप्त होती है, पीड़िता को किसी भी दशा में रात्रि समय से थाने में नहीं रखा जायेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो पीड़ित महिला को उसके घर या महिला संरक्षण गृह में ही रूकवाया जायेगा।

XVI. विवेचक का दायित्व होगा कि वह तत्काल किसी एन0जी0ओ0/परामर्शदाता (Counselor) से सम्पर्क कर पीड़ित महिला को आवश्यक सहायता पहुँचायेगा।

XVII. विवेचक का यह दायित्व होगा कि इन अपराधों की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करें, ताकि अभियुक्त को धारा 167 दं0प्र0सं0 का लाभ मिलकर जमानत न मिले।

XVIII. सभी पुलिस कर्मियों का समय-समय पर महिला सम्बन्धी अपराधों में प्रशिक्षण कराया जाता रहे।

XIX. थानाध्यक्ष या विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला का वर्तमान व स्थायी पता अपने पास रखे व पीड़ित महिला को यह अवश्य सलाह दें कि वह अपना पता बदलने पर थाने को सूचित करें।

XX. यदि विवेचना या ट्रायल के उपरान्त पीड़ित महिला को किसी से भी धमकी प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

XXI. महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में संलिप्त अभियुक्तगण की समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार अभियुक्तगणों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी व निरोधात्मक कार्यवाही करायें।

XXII. महिलाओं के साथ घटित बलात्कार एवं हिंसा, दुव्यर्वहार आदि के प्रकरण में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण, रहन - सहन, कपड़े पहनने के तरीके एवं उसके व उसके साथी के संबंध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाय। घटना के संबंध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाय। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाय।

XXIII. यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम-2013 की उचित धाराओं का प्रयोग अवश्य हो।

XXIV. यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है तो भादंवि में हुए संशोधन Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।

4. महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनके प्रति संवेदशीलता के संबंध में आप लोगों के मार्गदर्शन हेतु इस मुख्यालय द्वारा समय समय पर निम्नलिखित परिपत्र निर्गत किये गये हैं:-

क्र0सं0	परिपत्र संख्या	दिनांक	विवरण
1	डीजी-परिपत्र-07/2012	29.1.2012	महिलाओं के प्रति होने वाली घटनाओं के रोकथाम हेतु।
2	डीजी-परिपत्र-24/2012	20.4.2012	बाल गृहों में बच्चों की सुरक्षा हेतु।
3	डीजी परिपत्र-31/2012	05.7.2012	बच्चों के गुमशुदगी के संबंध में।
4	डीजी- परिपत्र-35/2012	23.7.2012	नाबालिक एवं बालिग अविवाहित लड़कियों के अपहरण के संबंध में।
5	डीजी-परिपत्र-43/2012	24.9.2012	अश्लील एसएमएस,एमएमएस एवं अवांछनीय फोन काल्स के रोकथाम हेतु।
6	डीजी-परिपत्र-53/2012	10.11.2012	पुलिस विभाग में नियुक्त कार्यकारी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौनउत्पीड़न संबंधी घटनाओं के संबंध में।
7	एडीजी-1/2013	8.1.2013	छेड़खानी के प्रकरणों में 110जी द0प्र0स0 के अंतर्गत कार्यवाही करने के संबंध में।

8	डीजी-सात-एस-3/23/12	13.1.13	Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 के कियान्वयन के संबंध में।
9	डीजी-परिपत्र-3/2013	16.1.2013	हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की विवेचना में सुधार हेतु दिशा निर्देश।
10	डीजी-परिपत्र-6/2013	2.2.2013	गुमशुदा बच्चों के संबंध में विकसित बेवसाइट साफ्टवेयर में सूचनाएं अपलोड किये जाने के संबंध में।
11	डीजी-सात-एस-3/15/13	23.2.2013	The Criminal Law Amendment Ordinance 2013 के कियान्वयन के संबंध में।
12	डीजी-परिपत्र-10/13	20.3.2013	मीडिया को महिलाओं से संबंधित घटनाओं की तथ्यात्मक सूचनाएं देने के संबंध में।
13	डीजी-परिपत्र-11/13	9.4.2013	बच्चों के अधिकार,देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में बाल कल्याण अधिकारी/ विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्तव्यों के संबंध में।
14	डीजी-परिपत्र-12/13	11.4.2013	गुमशुदा बच्चों के संबंध में।
15	डीजी-सात-एस-2ए/निर्देश/13	12.4.2013	दण्ड विधि अधिनियम संशोधन 2013 के कियान्वयन के संबंध में।

5. अभी हाल ही में जनपद बुलन्दशहर में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ कथित बलात्कार के प्रकरण में हवालात में रखा गया था जो गैर कानूनी ही नही बल्कि घोर निन्दनीय कृत्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों के बारे में अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी अवगत नहीं हो रहे हैं।

6. इस प्रकार के कुकृत्यों की पुनरावृत्ति न होने पाये अतः कृपया उपरोक्त परिपत्रों का आप भलीभांति अध्ययन कर लें। जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/निरीक्षक/ थानाध्यक्ष को उपरोक्त के संबंध में भलीभांति अवगत करा दें तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जेण्डर सेन्सटाइजेशन और बच्चों के प्रति संवेदनशील करने के लिए उनको भी शामिल कर लें ताकि वे भी थानों पर जाकर पुलिस कर्मियों को अवगत करा सके तथा इसका शत-प्रतिशत अनुपालन हो सके।

7. क्षेत्राधिकारीगण द्वारा थानों पर जाकर उपरोक्त परिपत्रों के निर्देशों से उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी एवं आरक्षीगण को भलीभांति अवगत करावें और उसमें दियें निर्देशों का अक्षरशः पालन करायें। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित उपरोक्त परिपत्रों को थाने के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवा दें ताकि कर्मचारीगण उसको पढ़ते रहें।

8. महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए आवश्यक है कि बालिकाओं के विद्यालयों, कामकाजी महिलाओं के स्थानों एवं भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों, सिनेमाघरों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे कपड़ों में महिला आरक्षियों की डियूटी लगायी जाय और गश्त/पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

17/4/13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

105

17.4.2013

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।